प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 02.05.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में 10,000/-रु0 का इनामी गिरफ्तार।

दिनांक 29.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त(10,000/-रु0 का इनामी) की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु रवाना होकर अभियुक्त इमराज उर्फ इमरान पुत्र बिलाल शेख **निवासी** सी ब्लाक गली नं0 08 थाना भजनपुरा दिल्ली हाल दुकानदार घौण्डा चौक सीमा कम्युनिकेशन जाफराबाद दिल्ली **हाल निवासी** ग्राम उजुनिया थाना सालार जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल उम्र 22 वर्ष को ग्राम उजुनिया पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर दिनांक 01.05.2024 को थाना लाया गया। जो कि गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

इमराज उर्फ इमरान पुत्र बिलाल शेख **निवासी** सी ब्लाक गली नं0 08 थाना भजनपुरा दिल्ली हाल दुकानदार घौण्डा चौक सीमा कम्युनिकेशन जाफराबाद दिल्ली **हाल निवासी** ग्राम उजुनिया थाना सालार जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त इमराज उर्फ इमरान पुत्र बिलाल शेख के विरुध्द थाना टीलामोड़ पर गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम व डकैती से सम्बन्धित कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

सर्विलांस सेल ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.04.2024 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर, 02 लड़कों नाम/पता अज्ञात के द्वारा उसके घर में गिफ्ट देने के बहाने आकर उसके ऊपर धारदार हथियार से वार करना, उससे उसका मोबाइल छीन कर ले जाना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गई। जिसमें थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमें लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक

01/05/2024 को सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा मैनुअल ईनपुट व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से लूट की घटना कारित करने वाले 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त हरप्रीत सिंह व दीप सिंह द्वारा पूछताछ में बताया कि अभियुक्त जगदीश लाल उर्फ शालू द्वारा हमें उक्त घटना कारित करने के लिए 20 हजार रुपये दिए थे। अभियुक्त जगदीश लाल के मालिक को वादिया परेशान कर रही थी जिससे क्षुब्ध होकर उक्त घटना कराई गई थी।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.हरप्रीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह उर्फ कुलदीप सिंह नि0 म0नं0 1240 इस्लाम गंज पप्पी सुनार के पास थाना डिवीजन- 2 लुधियाना (पंजाब), उम्र 23 वर्ष।

2.दीप सिंह पुत्र स्व0 जगत सिंह नि0 म0नं0 2242 मुस्ताकगंज चीमा चौक के पास थाना डिवीजन- 2 लुधियाना (पंजाब), उम्र 21 वर्ष।

3.जगदीशलाल उर्फ शालू पुत्र स्व0 दयाल चन्द नि0 म0नं0 2086 अमरपुरा थाना डिवीजन- 2 लुधियाना (पंजाब), उम्र 38 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर लूट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

सर्विलांस सेल टीम, ग्रामीण जोन व
थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा 20,000/- रुपये का ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के चांदी के आभूषण, बर्तन, एक पर्स व एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 11.01.2024 को थाना लोनी बोर्डर पर वादी ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर सोने, चांदी के आभूषण एवं बर्तन चोरी कर लिए हैं जिसमें तत्काल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बोर्डर पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बन्द फाटक लोनी बोर्डर के समीप से 20,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त कोहिनूर पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम कनेरा थाना झागर जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 01.05.2024 को रात्रि के समय गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पूर्व में सुनार की दुकान में हुई चोरी के माल में से चांदी का सामान, आभूषण, बर्तन वजनी 310 ग्राम, एक पर्स व अवैध एक तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद किया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं घूमन्तु जाति का हूँ। हम लोग खानाबदोश रहकर विभिन्न शहरों में डेरा डालकर रहते हैं तथा आसपास के इलाकों में रात में घरों व दुकानों में घुसकर चोरी व डकैती की घटनाएं करते हैं। कई महिने पहले बेहटा में अपने साथियों के साथ एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जहां से हमें काफी माल हाथ लगा था। इसके बाद मैं अपने गांव चला गया था। मुझसे बरामद यह जो चांदी के जेवर है, यह मैंने और मेरे साथियों ने उसी दुकान से चोरी किये थे जो मेरे हिस्से में आए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

कोहिनूर पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम कनेरा थाना झागर जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-02

बरामदगी का विवरण

चांदी के आभूषण, बर्तन वजनी 310 ग्राम, एक पर्स व अवैध एक तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम व एसटीएफ टीम गौतमबुद्धनगर

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध जिन्दा कारतूस बरामद।

थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी श्री अजय अवस्थी S/O श्री उमेश अवस्थी निवासी E53 Gali No 10 रामपार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के निवास पर दिनांक 22.04.2024 को सन्नी पुत्र जितेन्द्र उम्र 31 वर्ष, सचिन पुत्र जितेन्द्र उम्र 24 वर्ष, हिमान्शू पुत्र गौतम उम्र 28 वर्ष और दीपक उम्र 32 वर्ष ने गोली और डंडों से हमला कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई जिसमें थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई। तत्पश्चात आज दिनांक 02.05.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त सन्नी पुत्र जितेन्द्र उम्र 31 वर्ष को गढी कटैया कट के पास से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ की गयी तो अभियुक्त सन्नी ने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाले अजय अवस्थी पुत्र उमेश अवस्थी से कहासुनी हो गयी थी। इस बात का बदला लेने के लिए मैंने अपने साथियों के साथ दिनांक 22.04.2024 को अजय अवस्थी के दरवाजे पर गोली चलायी थी। मुझसे बरामद कारतूस उसी तमन्चे के साथ के हैं और तमन्चा को मैंने पचायरा गांव के पास यमुना नदी में फैंक दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

सन्नी पुत्र जितेन्द्र निवासी छट पूजा पार्क के सामने रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण

02 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-02

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.05.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री मुनेश कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी ग्राम गदिहर थाना सेहरामऊ अतरी जिला पीलीभीत द्वारा पंकज द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित कर दहेज में पैसो की मांग कर मारपीट करने व तंग आकर वादी की बहन द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई। उक्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.05.2024 को घटना में संलिप्त एक अभियुक्त मृतका का पति पंकज पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मोहना मुरादपुर थाना खुटार जनपद शांहजहापुर हाल पता गली न0 1 ग्राम झंडापुर किराये का मकान थाना लिंकरोड गाजियाबाद को भारद्वाज कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

पंकज पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मोहना मुरादपुर थाना खुटार जनपद शांहजहापुर हाल पता गली न0 1 ग्राम झंडापुर किराये का मकान थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.05.2024 को थाना खोड़ा पर वादी रहीसुद्दीन पुत्र बशीर,निवासी- गली नं० 2, किदवई नगर, निकट मक्का मस्जिद, दादरी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त आरिफ पुत्र अलाउद्दीन निवासी कला इन्कलेव नियर चांद मस्जिद खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को वादी की पुत्री प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आरिफ उपरोक्त को इतवार पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आरिफ पुत्र अलाउद्दीन निवासी कला इन्कलेव नियर चांद मस्जिद खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम